R.M.M. Law College, Saharsa
LL.B. Part IInd
Nareshji Anand
Paper - Ist
Family Law (Muslim Law)

पितृत्व की स्थापना

बच्चों का पितृत्व उसके माता के पति में स्थापित होता है, जहाँ -

(1) विवाह सम्पन्न होने के तिथि के पश्चात् छः मास के पूर्व न उत्पन्न हुआ हो (शिया विधि के अनुसार विवाह संभोग के पश्चात् छः मास से पूर्व।

(2) जहाँ विवाह विच्छिन्न हो गया हो, वहाँ बच्चा -

(क) शिया विधि के अनुसार दस मास

(ख) हनाफी विधि के अनुसार दो वर्ष,

(ग) शाफी और मालिकी विधि के अनुसार चार वर्ष की अवधि में उत्पन्न हो जाय, बशर्ते की प्रत्येक दशा में स्त्री विवाह-विच्छेद की तिथि से लेकर बच्चे के जन्म तक अविवाहिता रहे।

शुक्राणु विज्ञान या गर्भविज्ञान के अरुद्ध ज्ञान के कारण मुस्लिम विधि शास्त्रियों ने बच्चों के धर्मजता के पक्ष में ऐसी उपधारणाएँ मानी जिसमें गर्भ धारण किये रहने की अवधि दस मास से चार वर्ष तक स्वीकार किया गया निसंदेह शरीरशास्त्र के वैज्ञानिक ज्ञान की कमी उस समय थी और उन दिनों विवाह विच्छेद के पश्चात स्त्री द्वारा अन्य पुरुष से घनिष्ठता बढ़ाना और पुरुष द्वारा मौके का फायदा उठाना

एक सामान्य बात थी; अतएव 10 मास से चार वर्ष तक गर्भधारण की जो परिकल्पना थी वह केवल इस कारण थी कि गलती करने वाले स्त्री के ऊपर विधि की सख्ती को कम किया जा सके, क्योंकि व्यभिचारिता में स्त्री को दण्ड की भागी होती थी। हिदाया का लेखक सावधानी बरतने के लिए इस उपधारणा का समर्थन करते हैं :-

"जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे और वह तलाक तिथि से दो वर्षों के भीतर किसी बच्चे को दे तो वह पुरुष उस बच्चे का पिता माना जाएगा; क्योंकि यह हो सकता है कि तलाक के समय गर्भ रहा हो और गर्भ ठहरने के पूर्व समागम होना भी समाप्त न हुआ हो; अतएव सावधानी बरतने के लिए पितृत्व की स्थापना इस प्रकार की जाती है।"

इस प्रकार की उपधारणा स्थापित करने वाली परिस्थितियाँ, साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 द्वारा आज्ञापित सीमा से भले ही अत्यधिक अनावश्यक रही हों; किंतु इन उपधारणाओं के प्रयोग की गुंजाइश अब नहीं है। साक्ष्य अधिनियम 1872 के पारित होने के पूर्व ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक वाद में जहाँ तलाक के 19 मास पश्चात शिशु पैदा हुआ था मुस्लिम विधि की इस उपधारणा को स्वीकार नहीं किया और कहा कि ऐसे शिशु को धर्मज मानना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 और मुस्लिम विधि

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

1872 की धारा 112 यह वर्णन करती है कि —
"यह तथ्य कि किसी शिशु का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विवाह के दौरान या विवाह विघटन के 280 दिन के अन्दर हुआ था और माता अविवाहित बनी रही है तो यह इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष की धर्मज संतान है जब तक यह न सिद्ध किया जाय कि गर्भ में उसे आ सकने के किसी भी समय विवाह के पक्षों का परस्पर समागम का कोई अवसर नहीं था।"

आलोचकों का कथन है कि पितृत्व की उपधारणा के संदर्भ में वर्णित मुस्लिम विधि बेहूदी है और इस कारण साक्ष्य अधिनियम ही उसके ऊपर प्रभावी होगा। किन्तु उन आलोचकों को अपनी आँखें खोलकर देखना चाहिए कि विवाह के एक घंटे के पश्चात जन्मे शिशु को धर्मज मानना क्या और अधिक बेहूदी न होगी।

दोनों में अंतर! —

शुद्ध मुस्लिम विधि और साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में निम्नलिखित अंतर हैं :-

(1) मुस्लिम विधि में विवाह के पश्चात छः मास के भीतर जन्मा शिशु अधर्मज होता है जब तक कि पिता उस शिशु को अभिस्वीकार न करे। किन्तु साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वह शिशु धर्मज है जब तक कि यह सिद्ध न किया जाय कि शिशु के गर्भ में आने के समय विवाह के पक्षों को पारस्परिक समागम का कोई अवसर प्राप्त न था।

(2) विवाह के छह मास पश्चात किन्तु विवाह विघटन के 280 दिन के भीतर उत्पन्न शिशु दोनों ही विधियों में धर्मज होगा, परंतु मुस्लिम विधि के अंतर्गत शियाओं द्वारा इस अवधारणा को वैध किया जा सकता है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अंतर्गत समागम के अवसर न होने के प्रमाण द्वारा।

(3) विवाह विघटन के 280 दिनों के पश्चात तथा दो वर्षों के भीतर उत्पन्न शिशु हनाफी शाखा के अनुसार धर्मज होगा, क्योंकि शियाओं के नियम लागू होंगे। सुन्नी विधि के शाफी और मालिकी उपशाखानुसार यह काल विवाह विघटन की तिथि से चार वर्षों तक माना जाता है। साक्ष्य अधिनियम में स्पष्टतः यह वर्णित नहीं है कि ऐसा शिशु धर्मज होगा या अधर्मज।

ऐसा प्रतीत होता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 विवाह विघटन के 280 दिनों के उपरांत उत्पन्न शिशु की धर्मजता सम्बन्धी मुस्लिम विधि को प्रभावित नहीं करती है। किन्तु आधुनिक समय में विकसित शरीरशास्त्र और शुक्राणु विज्ञान के ज्ञान से मुस्लिम विधि की यह उपधारणा अत्यधिक कमजोर और निष्क्रिय हो चुकी है।